जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.)/'जविप्रा/जे.सी. (एस.एम.)/2012/डी–504 दिनांकः 24.7.12

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 172वीं बैठक दिनांक 06.07.2012 का कार्यवाही विवरण

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	172.1	कार्यकारी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 18.04.12 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।	कार्यकारी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 18.04.12 के निर्णयों की पुष्टि की गई।		
2	172.2	कार्यकारी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 18.04.12 के कार्यवाही विवरण की पालना रिपोर्ट।	कार्यकारी समिति की 171वीं बैठक दिनांक 18.04.12 के पालना रिपोर्ट की पुष्टि की गई।		
3	172.3	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल–17 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एल–17 की राशि 1 वर्ष देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–8	
4	172.4	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 385 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 385 की राशि 2 वर्ष 3 माह विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–8	
5	172.5	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 518 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में आवास संख्या 518 की राशि 2 वर्ष 1 माह विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–8	
6	172.6	भूखण्ड संख्या बी–661, योजना सुमेल के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या बी–661, योजना सुमेल की राशि 2 वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–10	
7	172.7	ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी–3/237 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या बी–3/237 की राशि 560 दिवस देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–13	
8	172.8	खुशी विहार योजना का व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–12 (कार्नर) क्षेत्रफल 460.00 व.मी. की नजराना राशि देरी से जमा कराने के कारण नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से खुशी विहार योजना का व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–12 (कार्नर) क्षेत्रफल 460.00 व.मी. की राशि 2 वर्ष 3 माह विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
9	172.9	Agenda regarding approval of Tender for the work: Renewal of internal Roads in Zone-9 area, JDA, Jaipur.	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई।	Exe. Eng.-11	
10	172.10	भूखण्ड संख्या ए–224, योजना पालडीमीणा के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या ए–224, योजना पालडीमीणा की राशि 2 वर्ष से अधिक विलम्ब से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–10	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
11	172.11	भूखण्ड संख्या ए–414, योजना पालडीमीणा के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या ए–414, योजना पालडीमीणा की राशि 1 वर्ष 1 माह दिवस देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–10	
12	172.12	भूखण्ड संख्या 321, योजना ऋषि गालव नगर के नियमितिकरण बाबत।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से भूखण्ड संख्या 321, योजना ऋषि गालव नगर का नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–10	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की अनुमति से (SUPPLEMENTRY AGENDA)					
13	172.13	जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में भूखण्ड संख्या 301 के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जविप्रा की आवासीय योजना स्वर्ण विहार में भूखण्ड संख्या 301 की राशि 1 वर्ष की देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–8	
14	172.14	मूर्तिकला उद्योग नगर योजना में भूखण्ड संख्या 177 (कार्नर) क्षेत्रफल 134.25 व.मी. के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मूर्तिकला उद्योग नगर योजना में भूखण्ड संख्या 177 (कार्नर) क्षेत्रफल 134.25 व.मी. की राशि 1 वर्ष 8 माह 23 दिवस की देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
15	172.15	मुरलीपुरा व्यावसायिक योजना में दुकान नं. 3 (प्रथम तल) क्षेत्रफल 14.55 व.मी. के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मुरलीपुरा व्यावसायिक योजना में दुकान नं. 3 (प्रथम तल) क्षेत्रफल 14.55 व.मी. की राशि 1 वर्ष 3 माह 7 दिवस की देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
16	172.16	मुरलीपुरा व्यावसायिक योजना में दुकान नं. 2 (प्रथम तल) क्षेत्रफल 14.55 व.मी. के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मुरलीपुरा व्यावसायिक योजना में दुकान नं. 2 (प्रथम तल) क्षेत्रफल 14.55 व.मी. की कम ब्याज की जमा कराई राशि 856/– जमा कराये जाने की शर्त पर नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
17	172.17	मुरलीपुरा व्यावसायिक योजना में दुकान नं. 1 (प्रथम तल) क्षेत्रफल 14.55 व.मी. के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से मुरलीपुरा व्यावसायिक योजना में दुकान नं. 1 (प्रथम तल) क्षेत्रफल 14.55 व.मी. की राशि 1 वर्ष 3 माह 7 दिवस की देरी से जमा होने के कारण नियमितिकरण किये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण)	
18	172.18	पुनर्वास प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को 2500/– रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन मानदेय दिये जाने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पुनर्वास प्रकोष्ठ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को 2500/– रूपये प्रतिमाह प्रोत्साहन मानदेय दिये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया। कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची को मानदेय भत्ता दिये जाने से पूर्व आयुक्त जविप्रा से अनुमोदन करवाया जावें।	अति. आयुक्त (पुर्नवास)	
19	172.19	जयपुर आगरा एन.एच. 11 के पास गोनेर रोड पर खसरा नं. 50 ग्राम पालडीमीणा क्षेत्रफल 19840.43 व.मी. रिसोर्ट भूखण्ड की लीज राशि की गणना भौतिक कब्जा देने की तिथि से तथा नाले का निर्माण जविप्रा द्वारा कराने की कार्येत्तर स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से जयपुर आगरा एन.एच. 11 के पास गोनेर रोड पर खसरा नं. 50 ग्राम पालडीमीणा क्षेत्रफल 19840.43 व.मी. रिसोर्ट भूखण्ड की लीज राशि की गणना भौतिक कब्जा देने की तिथि से तथा नाले का निर्माण जविप्रा द्वारा कराने की कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	उपायुक्त जोन–10	
20	172.20	Agenda for consideration and approval of recommendations of the committee on the claims of M/s Symphonic & Graphichus in reference to the work of Planning Designing and Execution of Equestrian Arena at Jagatpura, Jaipur.	अधिशाषी अभियन्ता(प्रोजेक्ट–II) द्वारा शूटिंग रेंज परिसर में निर्माणाधीन इनडोर ऐरेना के कार्य में मैसर्स सिम्फोनिया एण्ड ग्राफिक्स के द्वारा प्रस्तुत क्लेम पर जयपुर विकास आयुक्त महोदय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा के अनुमोदन का ऐजेण्डा प्रस्तुत किया गया। इस बाबत् बैठक में अवगत कराया गया कि	Exe. Eng. Pro.-II	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
			इनडोर पोलो ऐरेना की वर्तमान में रू. 37.00 करोड़ की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति है जिसके तहत अब तक रू. 28.00 करोड़ का कार्य किया जा चुका है। तत्कालीन मुख्य सचिव के द्वारा दिनांक 09.06.2011 को उक्त कार्य को पूर्ण करने के निर्देशों की पालना में अब तक किये गये निर्माण को उपयोग योग्य स्थिति में लाने के लिये आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने का अनुमोदन राज्य सरकार के द्वारा किया जा चुका है। उक्त कार्य को पूर्ण करने की अनुमानित लागत रू. 52.00 करोड़ बतायी गयी। राज्य सरकार के अनुमोदन के उपरान्त पूर्व के संवेदकों को शेष कार्य पुनः प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया। कुछ संवेदकों के द्वारा कार्य करने की समय सीमा उपरान्त काफी समय व्यतीत होने के कारण व उक्त अवधि में महंगाई के कारण कार्य को यथास्थिति में फाईनल करने का निवेदन किया गया। अनुबन्ध के अनुसार समय सीमा गुजरने के पश्चात् संवेदक को आगे कार्य करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। अतः इन कार्यो को फाईनल कर शेष कार्यों की निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया जिसके तहत निविदा आमंत्रित कर प्राप्त कर ली गई है जो कि प्रकियाधीन है। पूर्व में लिये गये निर्णय जिसमें कि इस भवन में KALZIP ROOF लगाई जानी है जिसके सम्बन्ध में अलग से कार्यवाही चल रही है। चूंकि पूर्व में इस भवन का कार्य अक्टूबर 2008 में पूर्ण किया जाना था। अतः काफी बिजली के सामान की आपूर्ति भी ली जा चुकी है। इस प्रारम्भिक वस्तुस्थिति के साथ लेख है कि संदर्भित ऐजेण्डा फर्म सिम्फोनिया ग्राफिक्स द्वारा प्रस्तुत क्लेम व उन पर आयुक्त महोदय के द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अनुमोदन हेतु है संदर्भित कार्य के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति बैठक में निम्नानुसार अवगत करायी गयी। प्रारम्भ में सन् 2007 में उक्त कार्य के लिये Turnkey Bases पर निविदायें आमंत्रित कर कार्य आवंटित किया गया। चूंकि उस समय विस्तृत Design & Soil Investigation न होने के कारण संवेदक द्वारा कार्य को पूर्ण करने हेतु जो मात्रायें दर्शायी गयी उन पर कार्य आदेश में निम्न शर्त लगाई गई। *"The bill of quantities submitted by you has been accepted subject to the condition that tolerance of variation in quantities upto ±5% is allowed if the quantities variation is more than 5% to the lower side the proportionate deduction shall be done however for additional quantity exceeding variation beyond 5% shall not be admissible."* विस्तृत डिजाईन में स्टील की मात्रा लगभग पूर्व में अनुमानित मात्रा से 180 टन बढ़ गई तथा कार्य के दौरान इस		

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
			Turnkey कार्य में से Alcobond जो कि Roofing के लिये था उसके स्थान पर Kalzip Roofing लगाने के निर्णय के कारण Alcobond का कार्य इस अनुबन्ध से Withdrawal कर लिया गया। स्टील की मात्रा जो कि 180 टन पूर्व की अनुमानित मात्रा से अधिक थी उस पर पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक में सभी आहरणों का M.B. में नाप के अनुसार +5% Variation को समायोजित कर भुगतान का निर्णय लिया गया। उक्त कार्य की आश्रितता अन्य सिविल वर्क पर थी जो कि माह फरवरी, 2011 को पूर्ण हुये। पूर्व के निर्णय के अनुसार उक्त भवन पर ट्रसों के लगाने के अलावा सभी कार्य P.P.P. Model पर क्लब हाऊस के साथ कराने का था परन्तु क्लब हाऊस के P.P.P. Model पर किसी भी निविदादाता के सफल ने होने व किये गये कार्य का उपयोगी होने के लिये सभी कार्यों को प्राधिकरण के स्तर पर कराने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर यह भी उल्लेखित है कि जयपुर शहर को विश्वस्तरीय शहर बनाने के प्रयास किये जा रहे है और निर्माणाधीन स्ट्रक्चर भी भारतवर्ष में अपने आप में इस प्रकार का प्रथम विश्व स्तरीय स्ट्रक्चर है। प्राधिकरण के पुनः कार्य करने के निर्देशों के कम में संवेदक द्वारा निम्न क्लेम प्रस्तुत किये। 1 कार्य पूर्ण करने के लिए समय सीमा बढाने एवं Price Variation का भुगतान। 2 अनुमानित मात्रा 600.00 टन स्टील से +5 प्रतिशत अधिक (600 से 630 टन) तक का भुगतान करने बाबत्। 3 इस Turnkey कार्य में से Alcobond जो कि Roofing के लिये था, उसे इस अनुबन्ध से Withdraw करने के कारण संवेदक को लाभ में हुई हानि की क्षतिपूर्ति। 4 स्ट्रक्चर में लगाई गई बेयरिंग का अलग से भुगतान देने बाबत्। 5 एजेन्सी के चोरी गये कच्चे माल की क्षतिपूर्ति। 6 अनुबन्ध में उल्लेखित मोटाई से अधिक मोटाई की Polycarbonate sheet लगाने हेतु अतिरिक्त भुगतान। इन क्लेम के परीक्षण एवम् अनुशंसा देने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा निम्न सदस्यों की कमेटी गठित की गयी। 1 निदेशक (अभियांत्रिकी–प्रथम), जविप्रा, जयपुर – सदस्य 2 निदेशक (वित्त), जविप्रा, जयपुर – सदस्य 3 निदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर – सदस्य 4 अधीक्षण अभियन्ता(प्रोजेक्ट–प्रथम) – सदस्य सचिव समिति द्वारा क्लेम पर विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित अनुशंसा		

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
			दी गई। 1 कार्य में देरी के लिये गुण अवगुणाधार पर Time Extension के अनुमोदन पश्चात् अनुबन्ध के Clause 45 के तहत Price Variation का भुगतान 2 चूंकि Original Document में Quantity के किसी प्रकार के Variation की शर्त नहीं थी परन्तु W.O. में शर्त जोड़ी गई एवं कार्य के दौरान कुछ कार्य Withdrawal करने व अतिरिक्त स्टील की मात्रा के सम्बन्ध में पूर्ण में कार्यकारी समिति के निर्णय को व Contractual Litigation को मद्देयनजर 5 प्रतिशत स्टील का भुगतान जो कि 30 टन है को करने की अनुशंसा की गयी। शेष सभी क्लेम को समिति के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। उक्त सभी तथ्यों पर व ऐजेण्डा नोट में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण में कमेटी की अभिशंसा प्रथम दृष्टया उचित है। प्रकरण को राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे क्योंकि समिति की सिफारिश जो उपरोक्त बिन्दु सं. 2 में वर्णित है, को स्वीकार करने हेतु कार्यादेश में पश्चातवर्ती संशोधन की आवश्यकता है जिस हेतु राज्य सरकार को प्रकरण नियमों में शिथिलता हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक है।		
21	172.21	"राजीव आवास योजना" के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार की अनुमोदित दरों पर कार्य करने की कार्योत्तर स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कन्सलटेन्ट द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए अब तक किये गये कार्यो के भुगतान हेतु निम्नानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई :– 1. कीरो की ढाणी :– रूपये 60.10 करोड की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मे से सर्वे इत्यादि कार्य के लिए रूपये 2.36 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति। 2. गोविन्दपुरा, पालडीमीणा, गिरधारीपुरा, मनोहरपुरा, बक्शावाला, माचेडा, बगराना की कच्ची बस्तियों के सर्वे इत्यादि के लिए रू. 13.50 लाख के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति। 3. कीरो की ढाणी मुहाना हेतु बनाये गये राजीव आवास योजना के पायलट प्रोजेक्ट की डीपीआर का भुगतान रूपये 40.10 लाख, 0.70% of total Project Cost (Rs. 57.29 Crore) से करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट–6)	
22	172.22	Approval/ratification of decision takaen in Meeting held under chairmanship of JDC on dated 26-04-2012 to improve the progress of BRTS work package-IIB	बैठक में अधिशाषी अभियन्ता(प्रोजेक्ट– I) द्वारा एजेण्डा प्रस्तुत किया गया इस एजेण्डा में आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2012 को मैसर्स नीरज सीमेन्ट स्ट्रक्चर लिमिटेड को आवंटित बी.आर.टी.एस. कार्य की बैठक ली गई। कार्यवाही विवरण का तथा इस बैठक की फोलोअप मीटिंग जो कि निदेशक (अभियांत्रिकी– I) की अध्यक्षता में दिनांक 13.06.2012 को सम्पन्न हुई। इन बैठकों का कार्यवाही विवरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं।	Exe. Eng. Pro.-I	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
			इस ऐजेण्डा के क्रम में बैठक में यह अवगत कराया गया कि मैसर्स नीरज सीमेन्ट स्ट्रक्चर लिमिटेड को बी.आर.टी.एस. पैकेज–।। बी एवम् पैकेज–।।सी का कार्य जिसकी कार्यादेश राशि रू.104.41 करोड़ है दिनांक 16.04.2008 को आवंटित किया गया। कार्य आवंटन के पश्चात् बी.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट के विभिन्न स्तरों पर समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें कि 45 मी. से कम चौड़ी सड़कों पर बी.आर.टी.एस. कॉरीडोर नहीं बनाने का निर्णय लिया गया। इसी दौरान मैट्रो पैकेज–।।° के रूट का अनुमोदन किया गया जिसमें कि मैट्रो को जवाहर लाल नेहरू मार्ग की बजाय टोंक रोड़ पर दुर्गापुरा क्षेत्र से होकर निकालने का निर्णय लिया गया। चूंकि यह उक्त बी.आर.टी.एस. कॉरीडोर भवानी सिंह रोड़ पर सहकार सर्किल से शुरू होकर रामबाग सर्किल होते हुए सांगानेर कोसिंग तक जिसमें कि अधिकांश भाग में 45 मी. चौडाई ना होने तथा रामबाग से सांगानेर कोसिंग तक मैट्रो का रूट होने के कारण इस भाग में डेडीकेटेड बी.आर.टी. कॉरीडोर के स्थान पर बी.आर.टी. को मिश्रित यातायात में प्रायोरिटी लेन में चलाने का राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाकर संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाए गए। राज्य सरकार के स्तर पर व प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में पैकेज–।।। के स्वीकृत कार्य व मैट्रो के लिए दुर्गापुरा ऐलीवेटेड रोड़ में जो कार्य करवाए जाने थे उन्हें पूर्व के अनुबन्ध के अन्तर्गत करवाये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय का मुख्य कारण पूर्व के अनुबन्ध में बी.आर.टी. संशोधन के कारण जो कार्य नहीं करवाये गये उनकी वजह से कोई Contractual Liability न हो। संवेदक के अतिरिक्त कार्य के संशोधित आदेश दिनांक 12.10.2010 को दिये गये जिसके अनुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथी दिनांक 05.11.2011 थी इस आदेश के जारी होने के उपरान्त संतोषजनक प्रगति नहीं रही, जिसके प्रमुख कारण प्रारम्भ में कार्य की प्रकृति रही, उसके उपरान्त कार्य की प्रकृति व संवेदक की धीमी प्रगति रही। कार्य की प्रगति बनाये रखने के लिये स्पान वाईज क्षतिपूर्ति की कटौति ना करने का भी कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया। गत एक वर्ष से संवेदक द्वारा कैशफ्लो की परेशानी बताते हुए कार्य को बहुत धीमी गति पर पहुँचा दिया गया जिसके कारण समय–समय पर विधिवत रूप से ठेकेदार को नोटिस जारी किये गये परन्तु नोटिसों के बावजूद कार्य की प्रगति में संतोषजनक सुधार न होने के कारण परफोरमेन्स गारण्टी Encash कराने का नोटिस जारी किया गया तथा बैंक को परफोरमेन्स गारण्टी की राशि को प्राधिकरण कोष में जमा करवाने हेतु लिखा गया।		

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
			इस एक्शन के विरूद्ध संवेदक ने माननीय अपर जिला मजिस्ट्रेट में वाद दायर किया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के एक्शन पर अस्थायी रोक लगा दी। इस परिवाद का जवाब प्राधिकरण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु ठेकेदार के द्वारा आयुक्त महोदय को कार्य पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया तथा यह निवेदन किया कि उनकी परफोरमेन्स गारण्टी एनकेश नहीं कराई जाये क्योंकि वर्तमान में उनकी वित्तीय हालत ठीक नहीं है। इसी कम में दिनांक 26.04.2012 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई जिसमें इस संवेदक द्वारा माह सितम्बर तक औसतन रू. 3.00 करोड़ प्रतिमाह व सितम्बर से जून 2013 तक औसतन रू. 5.00 करोड़ से 6.00 करोड़ प्रतिमाह का कार्य किया जाकर उक्त कार्य को जून 2013 तक पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया गया। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर वृहत विचार–विमर्श पश्चात् कॉन्ट्रेक्ट के प्रावधानों से अलग कार्य हित में जो निर्णय लिये गये वह निम्नानुसार हैः– 1 Agency will withdraw court case before next hearing and it is assured that they will give progress of average Rs 3.0 cr. per month till September, 2012 and bank guarantee in lieu of performance security shall not be liquidated till Sept. 2012, and the progress of the work will be reviewed every month and finally in the month of September and the cumulative progress from May up to September will be Rs 15.0 cr. and remaining balance work with an average work done of Rs 5.0 -6.0 cr. per month from October 2012 to June 2013 and however in any month in this period if the progress of the work is found to be extra ordinary poor then JDA will be free to take action as per the contract agreement. 2 JDA will release the legitimate payments due on account of the work done by agency including price escalation if any, after commencing work at site. 3 As requested by the contractor and sub contractor, since the agency is not having good financial cash flow including the sub-contractor ARSS. For launching of segments the launching girder, fabrication and installation will involve huge amount and		

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एस.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
		therefore on the request of contracting agency it is agreed in principle that this work may be again given to any another experienced sub-contractor who can execute the job and it was also agreed that the agency will submit proposal along with and request / undertaking to JDA for making direct payment for the segment casting and launching work. 4 As requested by the contractor, as regards to at grade work the road work, the work amounting Rs. 10-12 cr. approximately is to be given sub-contractor M/s. Devi constructions who is also a registered contractor of JDA, and agency will submit and request/ undertaking to JDA for making direct payment to him for the work executed by him. 5 As regards desired time extension by agency it was agreed that JDA will decide on the merit of the case. 6 As regards the request of contracting agency for the payment of price variation during the time period as desired by agency the frozen index of November 2011, it was agreed in principle that agency will submit the details/conditions of such cases of other govt. departments in which such mode has been followed for payment of price variation beyond the stipulated period of completion. After examination these condition, appropriate decision is to be taken at competent level. 7 On the matter of approval of admissible extra items it was agreed that after the acceptance of rate for those items by the contracting agency and JDA, the same may be processed for approval within a period of 15days. For release of payment of these extra items the same will be approved by competent authority in anticipation of approval of interim deviation by competent authority.		

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय / सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
			8 The request for making the payment running bill on 10th of every month was also agreed. गत दो माह की अवधि के दौरान संवेदक द्वारा आश्वस्त की गई प्रगति मौके पर नहीं देने के परिपेक्ष में परियोजना का निदेशक (अभियांत्रिकी– I) स्तर पर समीक्षा कर पाया गया कि यह फर्म प्राधिकरण से भुगतान प्राप्त करने के बाद राशि को इस प्रोजेक्ट में पूर्ण रूप से नहीं लगाती है, जिसके कारण मैटेरियल सप्लायर्स एवम् श्रमिक ठेकेदार भुगतान के अभाव में मौके पर कार्य सम्पादित नहीं कर रहे है। इस प्रकरण में अब संवेदक द्वारा सभी मैटेरियल सप्लायर्स एवम् श्रमिक ठेकेदार को प्राधिकरण स्तर से उनके द्वारा किये गये कार्य की बिल राशि में से सीधे ही भुगतान हेतु जो प्रस्ताव इस फर्म के द्वारा दिया गया कार्य हित में उसे स्वीकार कर लिया गया (Direct payments to sub contractor, vendors, suppliers, labour contractors etc. on behalf of agency). यहॉ पर यह भी उल्लेखित करना उचित होगा कि भारत सरकार के द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने का कार्यकाल दो बर्ष अर्थात 31.03. 2014 तक बढाया गया है। उक्त वस्तुस्थिति के साथ आयुक्त जविप्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक दिनांक 26.04.2012 एवम् निदेशक (अभियांत्रिकी– I) के स्तर पर हुई बैठक में लिये गये उपरोक्तानुसार निर्णयों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।		
23	172.23	भूखण्ड संख्या 4 इन्द्रिरा पैलेस मालवीय नगर, जयपुर की आरक्षित दर निर्धारित करने के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार उक्त योजना जे.एल.एन. मार्ग के नजदीक स्थित होने के कारण मालवीय नगर योजना की वाणिज्यिक दर 22500 / – प्र.व.मी. एवं जवाहर लाल नेहरू मार्ग की व्यावसायिक दर 55,000 / – रू. का औसत निकालते हुये इन्द्रिरा पैलेस की आरक्षित दर 38750 / – रू. प्रतिवर्गमीटर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन–1	
24	172.24	श्री छीतर मल मीणा, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति पर) के दोनों गुर्दे खराब होने के कारण उन्हें गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए रूपये 9.00 लाख चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से श्री छीतर मल मीणा, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति) की गम्भीर बीमारी के ईलाज हेतु मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुये राजस्थान के बाहर के अस्पताल मूल जी भाई पटेल यूरोलोजिकल हॉस्पिटल नाडियाड (गुजरात) में ईलाज की स्वीकृति एवं अस्पताल द्वारा दिये गये तकमीना आवेदक के लिए उपरोक्त राशि रू. 9,00,000 / – अस्पताल को चिकित्सा अग्रिम दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
25	172.25	Decision for payment of price variation the stipulated time period for the project based on frozen index.	बैठक में ऐजेण्डा अधिशाषी अभियन्ता(प्रोजेक्ट– I) के द्वारा बी.आर.टी.एस.परियोजना के लिए आयुक्त महोदय की अध्यक्षता मे हुई बैठक 26.04.2012 के लिये गये निर्णय के परिपेक्ष में बी.आर.टी.एस. परियोजना के अन्तर्गत कार्यों में N.H.A.I. के अनुबन्धों के अनुसार Price Variation का भुगतान करने के कम में विचारार्थ एवम् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।	Exe. Eng. Pro.-I	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
			उक्त ऐजेण्डा के क्रम में अवगत कराया गया है कि 6 माह से अधिक की अवधि व रू. 50.00 लाख से अधिक की राशि के कार्यों पर R.B.I. के Index के अनुसार, संवेदक द्वारा किये गये कार्य पर त्रैमासिक अन्तराल पर Price Variation का भुगतान का प्रावधान है। बी.आर.टी.एस. परियोजना के लिये किये अनुबन्ध के अनुसार अनुबन्ध की निर्धारित समाप्ति तिथि तक या बढ़ाई गयी तिथि जिसके लिये संवेदक जिम्मेदार नहीं है, Price Variation के भुगतान का प्रावधान है जबकि N.H.A.I. के अनुबन्ध में अनुबन्ध की निर्धारित समाप्ति तिथि के उपरान्त भी कार्य को वास्तविक रूप से पूर्ण होने की तिथि तक, अनुबन्ध की निर्धारित तिथि के R.B.I. के Index या वर्तमान के Index जो भी कम हो पर Price Variation के भुगतान का प्रावधान उल्लेखित है। इस ऐजेण्डा पर विस्तृत विचार–विमर्श व प्राधिकरण में अन्य चल रहे कार्य जिनमें कि Price Variation के भुगतान का प्रावधान है, को मद्देनजर रखते हुये N.H.A.I. के Price Variation के प्रावधान को बी.आर.टी.एस. परियोजना के कार्यों में लागू नहीं करने का निर्णय लिया गया। यहाँ पर यह भी उल्लेखित है कि भारत सरकार द्वारा J.N.N.U.R.M. के तहत स्वीकृत कार्यों का कार्यकाल दो वर्षों यानि की 31.03.2014 तक बढ़ाया गया है। यदि उक्त अवधि में कार्य पूर्ण नहीं हो सकने की स्थिति में उक्त अवधि के आगे किये गये कार्यों की राशि स्थानीय निकाय को वहन करनी पड़ सकती है। बी.आर.टी.एस. परियोजना में वर्ष 2008 में सम्पादित किये गये अनुबन्ध के अन्तर्गत करवाये जा रहे कार्यों के क्रम में बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि इन कार्यों की बढ़ायी गयी निर्धारित अवधि गुजर जाने के कारण वर्तमान में किये जा रहे कार्यों का भुगतान वर्ष 2008 की स्वीकृत दरों पर बिना किसी Price Variation के भुगतान किया जा रहा है। इन दरों पर कार्य करने पर दोनों ही फर्मों की ओर से काफी प्रतिरोध है। दोनों ही फर्मों के द्वारा Price Variation का भुगतान माँगा जा रहा है। इन कार्यों के सम्पादन में विलम्ब के लिये विभाग व ठेकेदार की मिश्रित है। प्रचलित प्रक्रिया के तहत कार्य पूर्ण होने पर जिस देरी के लिये ठेकेदार जिम्मेदार नहीं उस अवधि के Price Variation का भुगतान संवेदक को देय होगा। वर्तमान में दोनों ही संवेदकों द्वारा कार्य करने पर काफी नुकसान बताया जाकर कार्य को प्रगति प्रदान नहीं की जा रही है। इस स्थिति में एक विकल्प यह है कि कार्य को Terminate/Resume कर दिया जाये जिसमें कि Litigation होने व कार्य को पूर्ण होने में देरी सम्भावना अधिक है और यह भी सम्भव है कि कार्य माह मार्च 2014 तक पूर्ण नहीं हो सके जिसके कारण न केवल स्थानीय निकाय को वह राशि वहन करनी पड़े		

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

	ए.सं.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
			बल्कि सामान्य जन का भी भारी विरोध सहन करना पड़े। इस स्थिति में विचार–विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि संवेदकों कार्य को पूर्ण करने के लिये विस्तृत प्रस्ताव/प्रोग्राम विभाग के अधिकारियों के अधिकारियों के साथ सम्मिलित रूप से किया जाये इसके साथ ही राज्य स्तर पर R.U.I.D.P. में किन्हीं कार्यों में मूल अनुबन्ध से हट कर कोई कार्यवाही, कार्य को पूर्ण करने हेतु अनुमोदित की गई हो तो उसकी जानकारी कर विस्तृत प्रस्ताव इन कार्यों को 30 जून, 2013 तक पूर्ण करने की प्रतिवद्धता के साथ आगामी बैठक प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।		
26	172.26	निःशक्त कर्मचारियों के वाहन भत्तें की नयी दर लागू किये जाने बाबत्।	विचार विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक एफ–6 (6)एफडी/रूल्स/2010 (आरएसआर–19/2012) दिनांक 25.04.2012 के कम में प्राधिकरण में कार्यरत राज्य सरकार के आदेश में वर्णित समकक्ष पात्र निःशक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन भत्ते में दिनांक 01.04.2012 से वृद्धि कर मूल वेतन का 6 प्रतिशत अथवा अधिकतम 600/-- रू. प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
27	172.27	Approval of Tender for the work of "Construction of BRT corridor & Development of road from Amrut Nagar to Dwarika Das Marg, New Sanganer road, Jaipur.	अधिशाषी अभियन्ता(प्रोजेक्ट–I) द्वारा ऐजेण्डा प्रस्तुत कर यह बताया गया कि अमृत नगर से बी–2 बाईपास के मध्य बी. आर.टी.एस. परियोजना राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाकर परियोजना की संशोधित डी.पी.आर. भारत सरकार के समक्ष अनुमोदनार्थ भेजी जा चुकी है। चूंकि परियोजना को अमृत नगर से बी–2 बाईपास तक (600 मी. लम्बाई) बढ़ाया जाना भारी वाहनों के साथ–साथ अन्य वाहनों के संचालन के लिए भी अत्यवश्यक है। कार्य की निविदा मैसर्स राकेश अग्रवाल के पक्ष में दर 34.79 प्रतिशत 'अबव' शेड्यूल–'जी' कुल राशि रू. 5,53,36,988.00 को अनुमोदित की गई।	Exe. Eng. (Pro.-I)	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक प–2(ई.सी.)/जविप्रा/जे.सी. (एस.एम)/2012/डी– दिनांकः

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न हैः–

क.स.	पद	विभाग का नाम
1	विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3	जिला प्रमुख	ज़िला परिषद, जयपुर।
4	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5	प्रमुख शासन सचिव (नगरीय विकास)	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10	जिला कलक्टर	जिला कलैक्ट्रेट, जयपुर।
11	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15	मुख्य अभियन्ता	सार्वजनिक निमार्ण विभाग,जयपुर।
16	मुख्य अभियन्ता	जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17	मुख्य अभियंता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर।
18	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19	निदेशक (अभियांत्रिकी/प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी/भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24	अति. मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25	विशेषाधिकारी (आर.एण्ड.एम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
27	उपायुक्त जोन...........	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
28	सहायक निदेशक (जन–सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 172वीं बैठक दिनांक 06.07.12 को सायः 04.00 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के सभा कक्ष 'मंथन' में श्री कुलदीप रांका, जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :—

क. सं.	नाम सदस्य/ अधिकारी	पद	विभाग	पदनाम
1	श्री कुलदीप रांका	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	अध्यक्ष
2	श्रीमती शुचि शर्मा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
3	श्री एन.सी. माथुर	निदेशक (इजिनियर–प्रथम)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री ललित शर्मा	निदेशक (इजिनियर–द्वितीय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री डी.सी. जवंडा	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री जे.बी. जाखड	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्रीमती वीनू नहलानी	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
8	श्रीमती अमिता चौधरी	उपखण्ड अधिकारी, जयपुर (पूर्व)	कलेक्ट्रेट, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री विनय शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता	जेवीवीएनएल, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री ए.एस. गुप्ता	अधिशाषी अभियन्ता एण्ड टी.ए टू सिटी सर्किल	पी.डब्ल्यू.डी, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
11	श्री पुखराज सैन	अति. आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
12	श्री ओ.पी. गुप्ता	अति. आयुक्त (भूमि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
13	श्री एस. मित्रा	संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेन्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री राजेन्द्र सिंह	उपायुक्त जोन–1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री राजेश चौहान	उपायुक्त जोन–8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	श्री ओंकार मल सैनी	उपायुक्त जोन–10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री सुधीर शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट–6)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री विष्णु कुमार गोयल	तहसीलदार जोन–9	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर